

फा.सं. 17/1/2018-गो.-1/1

कर्मचारी चयन आयोग

गोपनीय -1/1 अनुभाग

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यपक की संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2018 - के अंतिम परिणाम की घोषणा ।

\*\*\*\*\*

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक की संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2018 (पेपर-II) का आयोजन दिनांक 26.05.2019 को किया गया था। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाने हेतु पेपर-II के परिणाम की घोषणा दिनांक 04.09.2019 को की गई थी।

2. रिक्ति स्थिति को देखते हुए, विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त 104 अभ्यर्थियों का श्रेणी-वार ब्योरा इस प्रकार है:

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	कुल	अ.दि.	दृ.दि.
रिक्ति	11	6	29	58	104	2	5
संस्तुत अभ्यर्थी	11	6	29	58*	104	2^	2^^

\* अनारक्षित स्तर पर चयनित 6 अ.पि.व. अभ्यर्थी शामिल

^ 2 अ.दि.: 1 अ.पि.व. और 1 अना. अभ्यर्थी

^^2 दृ.दि.: 2 अना. अभ्यर्थी

अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पदों और विभागों का आवंटन, उनके द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय दिए गए, 'विभाग' की मेरिट-सह-'वरीयता क्रम' के आधार पर किया गया है।

3. कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का श्रेणी-वार विवरण अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं जन्म-तिथि के साथ नीचे दिए गए हैं। उन मामलों में जहां अभ्यर्थियों का चयन क्षैतिज रिक्तियों (4-अ वि, 5 श्र वि एवं 7-दृ वि) के विरुद्ध किया गया है, उनमें अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के अंक एवं जन्म-तिथि उनकी संबंधित क्षैतिज श्रेणियों के सामने दर्शाई गई है न कि उनकी ऊर्ध्व श्रेणी (1-अजा, 2-अजजा, 6-अपिवा एवं 9-अना) के सामने।

पद का कोड	विभाग कोड	श्रेणी	रिक्ति	भरे हुए	अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल अंक	अंतिम चयनित अभ्यर्थी के पेपर-II के अंक	अंतिम चयनित अभ्यर्थी के पेपर-I के अंक	अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्म तिथि (दि-मा-व)
बी	बी 1	2	1	1	264.75	142	122.75	25/04/1989
बी	बी 1	4	1	1	260.75	132	128.75	15/09/1986
बी	बी 1	6	2	2	294	169	125	17/10/1989
बी	बी 1	9	2	2	304.75	154	150.75	07/10/1993
सी	सी 1	6	4	4	284.5	157	127.5	23/11/1988
सी	सी 1	7	1	0	-	-	-	-
सी	सी 1	9	4	4	298.75	151	147.75	13/12/1992
डी	डी 1	6	1	1	285.25	134	151.25	28/04/1986
डी	डी 1	9	3	3	285.5	147	138.5	20/01/1989
डी	डी 2	9	4	4	289.25	153	136.25	15/11/1993
डी	डी 3	1	6	6	270.5	157	113.5	13/09/1984
डी	डी 3	2	3	3	264.75	137	127.75	25/11/1993
डी	डी 3	4	1	1	253.75	140	113.75	17/02/1984
डी	डी 3	6	10	10	279.75	142	137.75	06/07/1988
डी	डी 3	7	1	1	251.5	142	109.5	15/08/1990
डी	डी 3	9	21	21	285.75	154	131.75	20/08/1991
डी	डी 4	1	1	1	283.5	160	123.5	25/10/1980
डी	डी 4	6	4	4	279.5	136	143.5	17/10/1993
डी	डी 4	7	1	1	233.75	100	133.75	20/01/1988
डी	डी 4	9	7	7	287.25	140	147.25	10/07/1990
डी	डी 5	2	1	1	275	145	130	15/06/1992
डी	डी 5	6	2	2	279.25	125	154.25	05/08/1992
डी	डी 5	7	1	0	-	-	-	-
डी	डी 5	9	2	2	288	145	143	14/07/1990
डी	डी 6	6	1	1	278	150	128	17/05/1987
डी	डी 6	7	1	0	-	-	-	-
डी	डी 6	9	2	2	286.75	135	151.75	23/09/1990
डी	डी 7	9	1	1	294.5	145	149.5	25/08/1991
ई	ई 1	1	2	2	289.25	158	131.25	26/01/1986
ई	ई 1	6	3	3	291.25	150	141.25	25/10/1977

रक	रक 1	9	2	2	313.5	148	165.5	29/10/1972
रक	रक 2	9	1	1	304.75	146	158.75	02/06/1994
रक	रक 3	1	1	1	285.5	150	135.5	24/10/1984
रक	रक 3	6	1	1	300	150	150	20/04/1991
रक	रक 3	9	5	5	305.5	150	155.5	18/01/1990
रक	रक 4	9	1	1	310.75	155	155.75	24/11/1994
रक	रक 5	1	1	1	288.5	147	141.5	29/10/1986
रक	रक 5	2	1	1	280.5	155	125.5	04/11/1993
रक	रक 5	6	1	1	293.25	140	153.25	04/02/1994
रक	रक 5	9	3	3	304.5	160	144.5	21/02/1992

नोट 1: शैतिज रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में भी दर्शाया गया है।

नोट 2: पदों और श्रेणियों के 'शून्य' सूचित रिक्तियों से संबंधित पंक्तियों को इस सारणी में शामिल नहीं किया गया है।

4. 'पद कोड' की व्याख्या इस प्रकार है:

पद कोड	पद का नाम
बी	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में कनिष्ठ अनुवादक
सी	सशस्त्र सेना मुख्यालय (एएफएचक्यू ) में कनिष्ठ अनुवादक
डी	अधीनस्थ कार्यालय जिन्होंने कनिष्ठ अनुवादक (क.अ.)/ कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (क.हि.अ.) के लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदर्श भर्ती नियमों को स्वीकार किया है।
ई	केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

5. जिस विभाग और पद कोड के लिए आबंटन किया गया है उसके ब्योरे निम्नानुसार हैं-

विभाग कोड	संगठन का नाम	पद का नाम	पद कोड
बी 1	रेल मंत्रालय	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	बी

सी 1	रक्षा मंत्रालय [संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं सीएओ का कार्यालय], (एएफएचक्यू )	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	सी
डी 1	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट)	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	डी
डी 2	खान मंत्रालय	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	डी
डी 3	नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय (कैग)	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	डी
डी 4	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईटी), (राजस्व विभाग)	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	डी
डी 5	(आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय (एन)/ डीसीएमपीआर [इंटीग्रेटेड मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नेवी)]	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	डी
डी 6	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	डी
डी 7	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	कनिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	डी
ई 1	रक्षा मंत्रालय [संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं सीएओ का कार्यालय], (एएफएचक्यू )	वरिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	ई
ई 2	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वरिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	ई
ई 3	प्रवर्तन निदेशालय (राजस्व विभाग)	वरिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	ई
ई 4	(आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय (एन)/ डीसीएमपीआर [संबद्ध मुख्यालय,	वरिष्ठ अनुवादक समूह ख	ई

	रक्षा मंत्रालय (नेवी)]	अराजपत्रित	
ई 5	वायु सेना मुख्यालय	वरिष्ठ अनुवादक समूह ख अराजपत्रित	ई

6. बराबरी(टाई) संबंधी मामलों का निपटारा:- उन मामलों में जहां एक से ज्यादा अभ्यर्थियों के समग्र अंक समान हैं, वहाँ टाई का निपटारा निम्नलिखित मानदण्ड को दिए गए क्रम में अपनाकर किया गया है।

- (i) पेपर-II के कुल अंक।
- (ii) पेपर-I के कुल अंक।
- (iii) जन्मतिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखना ।
- (iv) वर्णानुक्रम, जिसमें वर्ण के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले आता है ।

7. संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुछ अभ्यर्थी जिनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रूप में रखी गई है, परन्तु उन्हें चयन सूची में भी शामिल किया गया है। संबंधित प्रयोक्ता विभाग ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच नामांकन के समय पूर्ण रूप से करेंगे।

8. चयन / गैर चयन/ पदों का आवंटन/ प्रयोक्ता विभाग इत्यादि के संबंध में किसी भी असंगति को आयोग के ध्यान में एक माह के भीतर लाया जा सकता है। एक माह के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे किसी भी प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

9. अगर किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और उसे आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा परिणाम घोषित होने के एक साल के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है तो उसके तत्काल बाद उसे इस मामले को प्रयोक्ता विभाग के ध्यान में जरूर लाना चाहिए।

अवर सचिव (गोपनीय -

1/1)

20.02.2020

